मनरेगा से हटेगा भोपाल जिला

- योजना आयोग कर रहा बदलाव बाहर होंगे शहरी आबादी वाले जिले
- योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह से खास बातचीत

भोपाल (नगर)। अगली पंचवर्षीय योजना में मनरेगा से भोपाल जिला हट जाएगा। अब केवल उन्हीं जिलों में यह योजना संचालित की जाएगी जहां अनुयूक्ति जाति और जनजाति की आबादी 30 फीसदी के ऊपर होगी। इसके साथ-साथ मनरेगा के तहत होने वाले काम 15 अगस्त को शीघ्रता से जारी किए जाएंगे। अगले कुछ दिन तक 2 अक्टूबर को इसकी घोषणा की जाएगी।

योजना आयोग और राष्ट्रीय परम्परा परिषद के सदस्य डॉ. मिहिर शाह ने नवदुनिया से विशेष बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भोपाल जैसे शहरी आबादी वाले जिलों में महत्तम गाँवी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जरूरत नहीं है।

12वी दशक वर्षीय योजना में शहरी आबादी के बाहुल्य वाले जिलों में मनरेगा का संचालन, बंद किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर योजना के तहत काम करने के लिए मजबूत ही नहीं मिल पाते। अब केवल अन्य और अनजान बाहुल्य जिलों पर ही फोकस किया जाएगा।

15 अगस्त को जारी होगा प्लान

श्री शाह ने बताया कि मनरेगा के तहत पूरी साल को काम होगा इसकी पूरी खाका अब 15 अगस्त को जारी किया जाएगा। इससे मजदूरों का एक स्थान से दूसरे स्थानों को पलायन करेगा। अभी यह प्लान 2 अक्टूबर को जारी होता है तब तक मजदूर पलायन कर जाए है। अब मनरेगा के तहत होने वाले काम का पूरा खाका तैयार होगा उसके हिसाब से कम शुरू होगी। इन काम को साल भर में पूरा किया जाएगा। इससे यह योजना केवल गढ़े खोदने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि स्थाई संरचनाओं का निर्माण हो सकेगा, जिसका लाभ ग्रामविस्तारों को मिलेगा।

भ्रष्टाचार का भी विकेंद्रीकरण

श्री शाह ने स्वीकार किया कि विकेंद्रीकृत नियोजन के साथ भ्रष्टाचार का भी विकेंद्रीकरण हो रहा है। यह विकेंद्रीकरण का रहस्य एक बड़ा रोचक बना हुआ है। विकेंद्रीकरण को सफल बनाने के लिए ग्राम समाधानों को मजबूत करना जरूरी है।